न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 48 / 2017 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्याः– 2017 / 00073

उनवान

1. करतार सिंह
2. शिवदयाल सिंह
3. विनोद कुमार

} पिसरान करन सिंह उर्फ दीवान जाति जाट निवासी कौठेर खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.........................अपीलांट।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज०)

बनाम

1. राजवीर
2. रामवीर उर्फ रामा
3. श्यामवीर
4. प्रेम सिंह

} पिसरान गोरधन जाति जाट निवासी कौठेन खुर्द तहसील नदबई जिला भरतपुर।

5. श्रीमान् तहसीलदार साहब नदबई
6. श्रीमान् सब रजिस्ट्रार महोदय तहसील नदबई।
7. पंजाब नेशनल बैंक लखनपुर तहसील नदबई।

.... रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2017 न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई प्रकरण संख्या 175 / 2014 उनवानी करतार सिंह बनाम राजवीर।।

उपस्थितिः–

1. श्री भूप सिंह वकील अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–01.07.2021

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2017 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण / अपीलाण्ट ने एक दावा विरूद्ध प्रतिवादी / रैस्पो0, इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 20 कुल रकवा 3.85 है0 हिस्सा 1 / 4 वाके ग्राम चैनपुरा तहसील नदबई स्थित है जिसके खातेदार काश्तकार प्रतिवादी / रैस्पो0 संख्या 01 से 04 वाहिस्सा बराबर दर्ज रेवन्यू रिकार्ड है व प्रतिवादीगण / रैस्पो0 का एक भाई सतवीर था जो कि

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

लावल्द औलाद फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादीगण/रैस्पो0 ही हैं। वादीगण/अपीलाण्ट व प्रतिवादीगण/रैस्पो0 एक ही पूर्वज की संतान है। विवादित आराजी वादीगण/अपीलाण्ट व प्रतिवादीगण/रैस्पो0 के बाबा व उनके भाई कन्हैया से प्राप्त आराजी है। उक्त बाबा के भाई कन्हैया का विवाह नही हुआ था तथा वह वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता के साथ रहते थे तथा सभी उनकी सेवा करते थे तथा वह भी दोनों पक्षो वादीगण व प्रतिवादीगण को समान प्रेम करते थे। वादीगण व प्रतिवादीगण के बाबा सुखराम का देहान्त पूर्व में सन् 1953 के आस पास हो चुका था तथा उनके भाई कन्हैया का देहान्त बाद में सन् 1959 में हुआ था। वादीगण के पिता से प्रतिवादीगण का पिता ने बड़ा भाई होने का लाभ उठाते हुये आराजी की प्रविष्ठियॉ अपने अकेले बाबा सुखराम व कन्हैया के स्थान पर मात्र कब्जे काश्त के आधार पर उनके जीवन काल में ही दर्ज करा ली जबकि आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता दोनों ही भाई सम्मिलित परिवार की कब्जे काश्त व पैतृिक भूमि होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता दोनों ही भाई सम्मिलित रूप से रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। लिहाजा आराजी मुतनाजा सम्मिलित परिवार की कब्जे काश्त व पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण प्रतिवादीगण के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं तथा प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात काबिल कलमजन के हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन निर्णय से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्य के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद अपीलाण्ट वादी रिकार्ड के अभाव में सावित ना पाने में कानूनी भूल की है जबकि अपीलाण्ट द्वारा पूर्ण दस्तावेजात न्यायालय तहत में पेश किये थे जिन पर गौर नहीं किया गया। न्यायालय तहत ने प्रस्तुत सजरा में भिन्नता मानने में ही कानूनी भूल की है जबकि एक प्रतिवादी द्वारा जरिये इकबालदावा सजरा को स्वीकार किया गया था ऐसी स्थिति में न्यायालय तहत द्वारा साक्ष्य के विपरीत निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। इस प्रकार अधीनस्था न्यायालय ने वादी/अपीलाण्ट की दस्तावेजी साक्ष्य एवं दीवान सिंह उर्फ करन सिंह एक ही व्यक्ति होने बाबत् प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख की समुचित व्याख्या करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट अपने वाद को सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं। विवादित आराजीयात जमाबन्दी संवत 2011 के कॉलम संख्या 05 में गोरधन के नाम है जो कि प्रतिवादी/रैस्पो0 के पिता है। इसी प्रकार संवत 2012-15 में भी विवादित आराजीयात पर गोरधन 02 बैल का खातेदार कृषक दर्ज है। जिससे सावित होता है कि उक्त आराजीयात पैतृिक ना होकर रैस्पो0 के पिता गोरधन की होती है। इसके अलावा दाखिला खारिज संख्या 50 जमाबन्दी संवत 2012-15 में भोला जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाबा हैं के तीन पुत्र कन्हैया, हरहेत, सुखराम अंकित हैं। परन्तु वादी/अपीलाण्ट ने अपने वाद पत्र में भोला के दो पुत्र सुखराम व कन्हैया दर्शाये हैं। इसी प्रकार दाखिला खारिज संख्या 46 जो कि सुखराम की मृत्यु के पश्चात् संवत 2011 में खोला गया है, में सुखराम के तीन वारिस गोरधन, अंगूर व दीवान सिंह के नाम अंकित हैं। उक्त दाखिला खारिज में वादीगण/अपीलाण्ट के

अखिलेश कुमार [illegible]
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

पिता करन सिंह का नाम अंकित नहीं है एवं ना ही उनके द्वारा अंगूर व दीवान सिंह का कोई उल्लेख अपने वाद पत्र में किया गया है। इस प्रकार वादी/अपीलाण्ट ने दावा क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नहीं किया है उनके वाद पत्र, कथन एवं राजस्व अभिलेख में विरोधाभाष है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख की रोशनी में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे हम किसी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते है।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 01.02.2017 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 01.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर